(67)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2816–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–8–2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार बदनावर जिला धार, प्रकरण कमांक 9/2014–15/अ–27

.....

1–अम्बालाल पिता पुनाजी पाटीदार
निवासी ग्राम खेडा तहसील बदनावर जिला धार
2–रमेश पिता पुनाजी पाटीदार
निवासी ग्राम खेडा तहसील बदनावर जिला धार

..... आवेदकगण

विरूद्ध

लालचंद पिता पुनाजी पाटीदार
निवासी ग्राम खेडा तहसील बदनावर जिला धार

.....अनावेदक

श्री अरूण भार्गव, अभिभाषक– आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 15/7/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार बदनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–8–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार बदनावर जिला धार के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत ग्राम खेड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 1088/2 रकबा 0.316 आरे के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत

किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित रखने हतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 8–8–16 को आदेश पारित कर निरस्त कर प्रकरण प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया था, परन्तु उसके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये जा सके हैं अतः प्रकरण के निराकरण में आवेदक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा इस स्थिति पर विचार नहीं किया गया है कि अनावेदक अपने हिस्से की भूमि को पूर्व में ही विकय कर चुका है इसलिये उसे प्रश्नाधीन भूमि में कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होने से वह बटवारा कराने का अधिकारी नहीं है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि में स्वत्व का प्रश्न निहित है और जिसके निराकरण का अधिकार व्यवहार न्यायालय को प्राप्त है और बिना स्वत्व का निराकरण हुये संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

(3) उभयपक्ष आपस में सगे भाई है इसलिये अनावेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में से कम नहीं कराये जाने का लाभ अनावेदक को नहीं दिया जा सकता है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि उभयपक्ष के सहस्वामित्व की भूमि है ऐसी स्थिति में अनावेदक को बटवारा करने का अधिकार प्राप्त है अतः तहसीलदार द्वारा की जा रही बटवारे की कार्यवाही वैधानिक एवं उचित कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि वर्तमान प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित नहीं है क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि पर उभयपक्ष का नाम दर्ज होने से उभयपक्ष को प्रश्नाधीन भूमि में स्वत्व प्राप्त है । अतः तहसीलदार द्वारा की

जा रही बटवारे की कार्यवाही उचित होने से उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारे का प्रकरण प्रचलित है । आवेदकगण की ओर से तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रचलित कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया गया है, परन्तु समर्थन में व्यवहार न्यायालय एवं वरिष्ठ न्यायालय द्वारा कोई भी स्थगन प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक कार्यवाही की गई है इसलिये तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बदनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–8–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर